न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2024

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट

1. प्रेमसिंह पुत्र अनोपसिंह
2. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह
(जाति राजपूत, निवासी इंदो की ढाणी, तह0 लोहावट जिला फलौदी)

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 870 दिनांक 20.12.2021

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.04.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम ईन्दों की ढाणी के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिबर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 305, 305/2 की भूमि में से उल्लेखित हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। मौके पर रास्ता उपलब्ध नही है व अपीलांट को

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का खेत दो टुकडों में बंट गया है, जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट के आवेदन पर की गई है, जो कि विधिसम्मत है व मौके पर जनहित में खसरा नं0 305/1 में सड़क बन चुकी है तथा प्रस्ताव में खसरा नं0 305/2 की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन दर्शायी गई है। अतः उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते, लिहाजा अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांक 870 दिनांक 20.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

08.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर